A 52

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 06/2026 FSSA

1.सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा।

—आवेदक—

बनाम

1.श्री निलम कुमार शर्मा पुत्र श्री धनी राम शर्मा (मुनिम) मैसर्सः—श्री राधे इंडस्ट्रीज पताः —प्लाट नं. 1,2,3 खसरा नं. 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला।

2.श्री किशन लाल सैनी पुत्र श्री रामजी लाल सैनी (नोमिनी एवं मालिक) मैसर्सः—श्री राधे इंडस्ट्रीज पताः—प्लाट नं. 1,2,3 खसरा नं० 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति :खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

:अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित।

दिनांकः—18.02.2026

—::आदेश::—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.06.2025 को सायंकाल 01.30 बजे मैसर्सः श्री राधे इंडस्ट्रीज पता—प्लाट नं. 1, 2, 3 खसरा नं. 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैसर्सः श्री राधे इंडस्ट्रीज पर विक्रेता श्री निलम कुमार शर्मा पुत्र श्री धनी राम शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मुनिम होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की मैसर्सः श्री राधे इंडस्ट्रीज पर साफ सुथरे कोल्ड स्टोरेज में कागज के पैक में 4 ली० X 20 पैक्ट विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जींच हेतु 1200 ग्राम खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) खरीदा। जिनकी कीमत 90 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 1200 ग्राम खाद्य पदार्थ मिडियन फेट फोजन डेजर्ट वैनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) को हिला—मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 36—36 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं कमांक एजी 4783 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबार कर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नंबर एजी 4783 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर आवे चारों नमूना भागों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतियाँ तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

दौसा

उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री सुमेर सिहं RHG 89 दौसा मुख्यालय द्वारा दिनांक 06.06.2025 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 06.06.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 06.06.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ मिडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) के नमूने की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/422/एक्ट/2025/422 दिनांक 13.06.2025 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया है एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1264F/FSSA/2025 दिनांक 23.09.2025 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया है। डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) का नमूना अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 51 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण अभियुक्त की गई। अप्रार्थीगण अभियुक्त उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/422/एक्ट/2025/422 दिनांक 13.06.2025 के नमूने की जांच में Total Solids FSSAI manuals of methods of analysis of Food Results 28.08% आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 30.0% से कम नहीं होनी चाहिए एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1264F/FSSA/2025 दिनांक 23.09.2025 के नमूने की जांच में Milk protein,%(Nx 6.38) method of Test used FSSAI 01.049:2022 Results 2.73 आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 3.5 से कम नही होनी चाहिए। इन कारणो से उक्त खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थीगण अभियुक्त ने अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) उल्लघंन किया है अतः धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं.1 मेरे यहॉ मुनिम का कार्य करता है। प्रार्थी श्री राधे इंडस्ट्रीज बाई की कोठी, डगलाव रोड, दौसा का मालिक है। जिस पर खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज आदि का विक्रय किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरी उक्त फर्म से 1200 ग्राम खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) खरीदा। प्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ का अमानक स्तर के होने की जानकारी नही थी। प्रार्थीगण भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Aदर

प्रकरण संख्या : 06/2026 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित थ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला लवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/422/एक्ट/2025/422 दिनांक 13.06.2025 एवं निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या 1264F/FSSA/2025 दिनांक 23.09.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) अमानक स्तर (Substandard) का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिडियम फेट फ्रोजन डेजर्ट वेनिला लूज (MEDIUM FAT FROZEN DESSERT VANILLA LOOSE) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 02 श्री किशन लाल सैनी पुत्र रामजी लाल सैनी (नोमिनी एवं मालिक) मैसर्सः–श्री राधे इंडस्ट्रीज पताः–प्लाट नं. 1,2,3 खसरा नं० 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला–दौसा(राज.) पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 02 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः FSSA/26/ 56-59

दिनांकः– 20 .02.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3.श्री नीलम कुमार शर्मा पुत्र श्री धनी राम शर्मा (मुनिम) मैसर्सः–श्री राधे इंडस्ट्रीज पताः–प्लाट नं. 1,2,3 खसरा नं० 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला।
4. श्री किशन लाल सैनी पुत्र श्री रामजी लाल सैनी (नोमिनी एवं मालिक) मैसर्सः–श्री राधे इंडस्ट्रीज पताः–प्लाट नं. 1,2,3 खसरा नं० 08 बाई जी की कोठी, डगलाव रोड, दौसा जिला दौसा।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

दौसा